"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 304 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 23, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 22, 1934)

क्रमांक-14511/वि. स./विधान/2012.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 14 सन् 2012) जो दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
**( देवेन्द्र वर्मा )**
**प्रमुख सचिव.**

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 14 सन् 2012)

# छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता ( संशोधन ) विधेयक, 2012

**छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.** 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

**धारा 237 का संशोधन.** 2. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 237 की उप-धारा (3) में, शब्द "यथा कृषि, आबादी, सड़क निर्माण, नहर, तालाब, अस्पताल, शाला, कॉलेज, विद्युत केन्द्र, गौशाला, घटकारों (कुम्हारों) द्वारा मिट्टी का उत्खनन या अन्य किसी सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं जैसा कि राज्य शासन द्वारा अवधारित किया जाए" के स्थान पर शब्द "यथा कृषि, आबादी, आवासीय परियोजनाएं, सड़क निर्माण, नहर, तालाब, अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, शासकीय कार्यालय, सार्वजनिक गोदाम, विद्युत प्रणाली, गौशाला, घटकारों द्वारा मिट्टी का उत्खनन, गौण खनिज या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं जैसा कि राज्य शासन द्वारा अवधारित किया जाए" प्रतिस्थापित किए जाएं.

## उद्देश्य एवं कारणों का कथन

सार्वजनिक निस्तार की आवश्यकताओं के साथ राज्य में बढ़ते शहरीकरण, बढ़ती आवासीय आवश्यकताओं एवं विभिन्न विकास कार्य अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा गृह निर्माण मंडल की योजनाओं के अंतर्गत सड़कों का निर्माण एवं सीवरेज प्रणाली को सुविधाजनक बनाने जैसे व्यापक जनहित की आवश्यकताओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करने हेतु छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 237 की उप-धारा (3) में संशोधन आवश्यक है.

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

**रायपुर**
दिनांक 7 दिसम्बर, 2012

**दयालदास बघेल**
राजस्व मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

# उपाबंध

**छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 की उप-धारा ( 3 ) के संबंध में सुसंगत उद्धरण—**

* * * * * * * * * * * * * *

**1-धारा 237 की उप-धारा ( 3 )** — इस संहिता के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कलेक्टर उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित भूमि को सुरक्षित रखने के पश्चात् उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में वर्णित उस ग्राम की कुल कृषि भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत के आधिक्य की भूमि को अन्य प्रयोजनों के लिए, यथा कृषि, आबादी, सड़क निर्माण, नहर, तालाब, अस्पताल, शाला, कॉलेज, विद्युत केन्द्र, गौशाला, घटकारों (कुम्हारों) द्वारा मिट्टी का उत्खनन या अन्य किसी सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं जैसा कि राज्य शासन द्वारा अवधारित किया जाए, के लिए व्यपवर्तित कर सकेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

**देवेन्द्र वर्मा**
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.